संख्या-1716/1-11-2004-रा0-11-18(जी)/2002

प्रेषक,

अनन्त कुमार सिंह,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई, 2004

विषयः- वर्ष 2004 की बाढ़ प्रबन्ध योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1018/1-11-2004-रा0-11-18(जी)/2002, दिनांक 7 मई, 2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2004 की सम्भावित बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने की दृष्टि से जनपद की बाढ़ प्रबन्धन योजना 15 मई, 2004 तक तैयार कर लेने के निर्देश दिए गये थे।

उक्त की ओर आपका ध्यान पुनः आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्भावित बाढ़/वर्षा की आपदा से निपटने के लिए कोई तैयारी/व्यवस्था शेष हो तो उसे तत्काल पूर्ण करा लिया जाय तथा प्रशासन तंत्र को इस प्रकार से सजग रखा जाए कि यदि बाढ़/जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो तो उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए:-

1. जनपदों में बाढ़ प्रबन्धन योजना के सुसंगत अंश की जानकारी प्रभावित क्षेत्र के आम लोगों को अभी ही दे दी जाय ताकि वे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें।

2. बाढ़ राहत केन्द्रों या उसके पास के सुरक्षित स्थान पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं, दवाओं, मिट्टी का तेल, पालीथीन आदि की उपलब्धता का सत्यापन करा लिया जाय।

3. बाढ़ के दिनों में जिन वस्तुओं को खरीदने या किराये पर लेने की आवश्यकता होती है तथा जिनके शासकीय मूल्य निर्धारित नहीं है उनके मूल्य पारदर्शी पद्धति से अभी ही निर्धारित कर लिये जायें।

4. बाढ़ सम्बन्धी पूर्व चेतावनी को तत्काल प्राप्त करने तथा प्रभावित क्षेत्र में इसके व्यापक प्रसारण की व्यवस्था की जाय। इस हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को ग्रामवार स्पष्ट रूप से उत्तरदायी बनाया जाय।

5. बाढ़ सुरक्षा एवं राहत कार्य से जुड़े विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क रखा जाय।

6. जनपद के लिए उत्तरदायी पी.ए.सी. बटालियन तथा सेना की इकाई से भी सम्पर्क रखा जाए।

7. बाढ़ या जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने पर किसी अन्य दिशा निर्देश या जनपद/क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित होने की प्रतीक्षा किये विना तत्काल सभी प्रकार के राहत कार्य आरम्भ कर दिये जायें।

8. जलमग्न होने वाले क्षेत्रों की जनसंख्या एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाय।

9. नावों में निर्धारित सीमा से अधिक भार न लादे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

10. राहत केन्द्रों पर आये बाढ़ पीड़ितों के आवास, भोजन, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था की जाय।

11. आवश्यकतानुसार पशुओं के चारे एवं दवाओं की व्यवस्था की जाय।

12. कई बार जलमग्न ग्राम के निवासी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यदि इलाके में जलमग्नता के कारण उनके समक्ष भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है तो उन्हें भी निर्धारित दर से राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए जैसे की राहत केन्द्रों पर दी जाती है।

13. राहत सामग्री का वितरण पारदर्शी ढंग से किया जाय तथा इस कार्य में जनता एवं जनप्रतिनिधियों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त किया जाय।

14. यदि आपदा राहत निधि से आवँटित धनराशि कम पड़ती है तो भी राहत कार्य को रोका न जाय। वाँछित धनराशि टी0आर027 से आहरित कर ली जाय तथा प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ण विवरण शीघ्रातिशीघ्र राहत आयुक्त को उपलब्ध कराया जाय।

15. बाढ़ की पूरी अवधि में इससे हुई क्षति तथा वितरित राहत का विस्तृत व्यौरा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर प्रति दिन आपदा नियंत्रण कक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।

16. इस रिपोर्ट की प्रति स्थानीय प्रिन्ट एवं दृश्य मीडिया को भी उपलब्ध करा दी जाए ताकि भ्रामक समाचार यथासंभव न प्रकाशित हो। यदि ऐसी कोई खबर संज्ञान में आए तो तत्काल उसका तथ्यात्मक खण्डन किया जाए।

भवदीय,

aksinha

(अनन्त कुमार सिंह)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-1716(1)/1-11-2004-रा0-11-18(जी)/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

राकेश

(राकेश कुमार)
अनुसचिव।

10-7-2004

जनपद में आयी आपदा की सूचना का प्रपत्र

जनपद का नामः–   रिपोर्ट की तिथिः–

1. दैवी आपदा का प्रकार–
2. घटना की तिथि व समय–
3. **क्षति का विवरणः–**

क0 सं0	मद	आज की स्थिति	अब तक की कुल (अधिकतम) स्थिति
		(अ)	(ब)
i.	प्रभावित तहसीलों की संख्या		
ii.	प्रभावित ग्रामों की संख्या		
iii.	जलमग्न ग्रामों की संख्या		
iv.	प्रभावित जनसंख्या		
v.	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
vi.	प्रभावित बोया गया क्षेत्रफल (हे0 में)		
vii.	कृषि फसलों की अनुमानित क्षति (लाख रु0 में)		
viii.	क्षतिग्रस्त मकानों की अनुमानित क्षति (लाख रू0 में)		
ix.	सार्वजनिक सम्पत्ति की अनुमानित क्षति (लाख रु0 में)		
x.	प्रभावित जनसंख्या जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया		

4. राहत कार्य का विवरणः–

क0 सं0	मद	आज की स्थिति
i.	स्थापित राहत केन्द्रों/राहत शिविरों की संख्या	

ii.	प्रयुक्त नावों की संख्या		
iii.	राहत कार्यो हेतु पी0ए0सी0/सेना का प्रयोग (संख्या)		
iv.	वितरित राहत सामग्री		
	(क) चावल (कुन्तल में)		
	(ख) गेहूँ/आटा (कुन्तल में)		
	(ग) किरासन तेल (लीटर में)		
	(घ) नमक (कुन्तल में)		
	(ड़) लाई (कुन्तल में)		
	(च) चना (कुन्तल में)		
	(छ) गुड़ (कुन्तल में)		
	(ज) मोमबत्ती (पैकेट में)		
	(झ) दियासलाई (पैकेट में)		
	(ट) पालीथीन (मीटर में)		
v.	नकद के रूप में अहैतुक सहायता (लाख रु0 में)		
vi.	चिकित्सा सहायताः		
	(क) उपचारित मनुष्यों की संख्या		
	(ख) मनुष्य के टीकाकरण की संख्या		
	(ग) उपचारित पशुओं की संख्या		
	(घ) पशुओं के टीकाकरण की संख्या		
vii.	मानव जीवन की हानिः	**संख्या**	**वितरित अनुदान (लाख रु0 में)**
	(क) डूबने से		
	(ख) अन्य कारण से		
viii.	पशु जीवन हानि		
ix.	क्षतिग्रस्त मकानः		
	(अ) पक्का	**संख्या**	**वितरित अनुदान (लाख रु0 में)**
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त		
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त		
	(ग) आंशिक क्षतिग्रस्त		

	(ब) कच्चा	**संख्या**	**वितरित अनुदान (लाख रु0 में)**
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त		
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त		
	(ग) आंशिक क्षतिग्रस्त		
x.	कोई अन्य सूचना		